कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

प्रार्थी **सर्वश्री एम0 एल0 टुबैको, खजावां अकबरपुर, अम्बेडकर नगर।**

प्रार्थना पत्र संख्या **40 / 11**

प्रार्थी की ओर से **श्री धर्म चन्द्र राम, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-40 / 11, दिनांक 02.05.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **" कारतूस " ब्रान्ड की कच्ची तम्बाकू (Raw Tobacoo)** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री धर्म चन्द्र राम, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म अकबरपुर-अम्बेडकर नगर में असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-2 कार्यालय में पंजीकृत है तथा उनका टिन नम्बर-09121902345 है। उनके द्वारा कच्ची तम्बाकू को खरीद कर उसी रुप में पैक करके बिक्री की जाती है उसमें कोई परिवर्तन या प्रकिया उनके द्वारा नहीं की जाती है केवल उनके द्वारा बड़ी पैकिंग से छोटे पैकेट में परिवर्तित कर " कारतूस " नामक ब्रान्ड के नाम से बेचा जाता है। अत: उन पर कच्ची तम्बाकू की भाँति उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि सख्यां-236 के अन्तर्गत करदेयता होनी चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 निम्नवत है :-

236	Raw tobacco (*vide Noti.no.-KA.NI-2-2758/XI-9(1)/08....dated 29-09-08 effective from 30-09-08)*

4. डिप्टी कमिश्नर (क0 नि0) वाणिज्य कर, अम्बेडकर नगर द्वारा अपने पत्रांक-92, दिनांक 03.06.11 एवं असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-2, अम्बेडकर नगर के पत्र संख्या-37, दिनांक 23.05.11 के द्वारा आख्या प्रेषित की गई है जिसके अनुसार व्यापारी के वाद में व्यापारी को अस्थायी कर निर्धारिण की नोटिस धारा-25 (1) में जारी की जा चुकी है तथा प्रथम त्रैमास का अस्थायी कर निर्धारिण आदेश भी पारित किया जा चुका है। वर्णित परिस्थितियों में व्यापारी का धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि व्यापारी का अस्थायी कर निर्धारण आदेश धारा-59 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही पारित किया जा चुका है तथा व्यापारी का मामला कर निर्धारण / अपील स्तर पर लम्बित है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत व्यापारी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 14 जून, 2011

ह0 / 14.06.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।